**दिनांक 29.08.2023**

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 40ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुकरेती प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत।

परिवादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि हस्तगत मामले में अभियुक्त का पता नालिशी द्वारा सही दाखिल किया है। अभियुक्त का दाखिल पते पर स्वयं का मकान है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद में उल्लिखित पते पर कुर्की वारण्ट जारी करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत वाद अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व तिथि पर निर्गत गैर जमानती वारण्ट की अदम तामील आदेशिका इस आख्या के साथ थाना पटेलनगर देहरादून से वापस प्राप्त पत्रावली में संलग्न है कि बार–बार दबिश दी गयी तो अभियुक्त विनोद बहुगुणा मस्कन पर मौजूद नहीं मिला। मस्कन पर अभियुक्त का पुत्र हर्ष बहुगुणा मौजूद मिला जिनके द्वारा बताया गया कि विनोद कुमार बहुगुणा अधिक कर्ज होने के कारण घर से फरार चल रहे हैं। परिवादी के द्वारा आज प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ब प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में वर्णित अभियुक्त के पते का ही सही व वास्तविक पता होने का अभिकथन किया गया है। थाना पटेलनगर से प्राप्त आख्या के आलोक में न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त जिसके विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया था, फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है जिससे न्यायालय द्वारा निर्गत किये जा रहे वारण्ट का निष्पादन नहीं हो सक रहा है। अतः अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु उसके विरूद्ध धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्‌घोषणा की कार्यवाही अमल में लायी जाये। परिवादी धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक पैरवी तीन दिन के लेना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते अभियुक्त की उपस्थिति/अग्रेत्तर कार्यवाही दिनांक 10.10.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।